राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1410/2025

जितेन्द्र सुण्डा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर श्रीकल्याण मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण रा.सा.स्वा.केन्द्र, झाझड़, ब्लॉक नवलगढ, झुन्झुनू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि जिस स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, उसी स्थान पर एक अन्य कार्मिक मंजू शर्मा का स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार एक ही स्थान पर दो व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि मंजू शर्मा ने स्थानान्तरण आदेश की पालना में नये स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है। उनका आगे तर्क है कि वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी कुलदीप सिंह मीणा जो रा.सा.स्वा.केन्द्र, झाझड

ब्लॉक नवलगढ, झुन्झुनू में कार्यरत था, जहां पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, का भी स्थानान्तरण आदेश में क्रम संख्या 334 और 338 पर दो जगह स्थानान्तरण किया जाना अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी का जिस स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, उस स्थान पर कुलदीप सिंह मीणा वर्तमान में कार्यरत है और मंजू शर्मा भी उसी स्थान पर कार्यरत हो गयी है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है।

3. निजी प्रत्यर्थी कुलदीप सिंह मीणा की ओर से तर्क है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा निदेशक को निजी प्रत्यर्थी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये पत्र जारी किया जा चुका है।

4. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के नोट संख्या–5 में यह अंकित किया गया है कि ''किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।'' अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का जिस स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, उस स्थान पर अपीलार्थी के अलावा एक अन्य व्यक्ति का भी स्थानान्तरण किया गया है, जिसने कार्यग्रहण कर लिया है। अतः इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

6. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)